

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-245057

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2023/1603

दिनांक:- 31-07-23

प्रेषिती:-

प्रमोद कुमार पुत्र श्री नाथाराम
जाति जाट निवासी चौधरी बस्ती
रेल्वे स्टेशन के पास सीकर।



विषय:- राजस्व ग्राम कुड़ली तह. सीकर के खसरा नम्बर 1375/1317 रकबा 0.1793 है. व खसरा नम्बर 1377/1369 रकबा 0.0372 है. अर्थात् कुल 2165.00 वर्गमीटर भूमि पर रामकोरी रेजीडेन्सी फैंज-2 आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

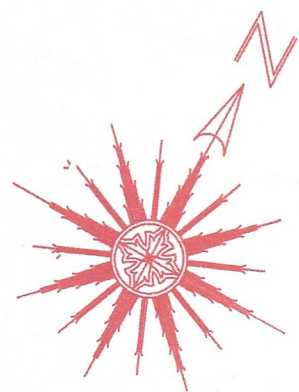
उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम कुड़ली तह. सीकर के खसरा नम्बर 1375/1317 रकबा 0.1793 है. व खसरा नम्बर 1377/1369 रकबा 0.0372 है. अर्थात् कुल 2165.00 वर्गमीटर भूमि पर रामकोरी रेजीडेन्सी फैंज-2 आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अधधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
 2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
 3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
 5. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
 6. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
 7. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
 8. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 03) भू-खण्ड का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
 9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allottees).
 10. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाइन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
 11. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।
- संलग्न:- योजना मानचित्र।

(राजपोल यादव RAS)

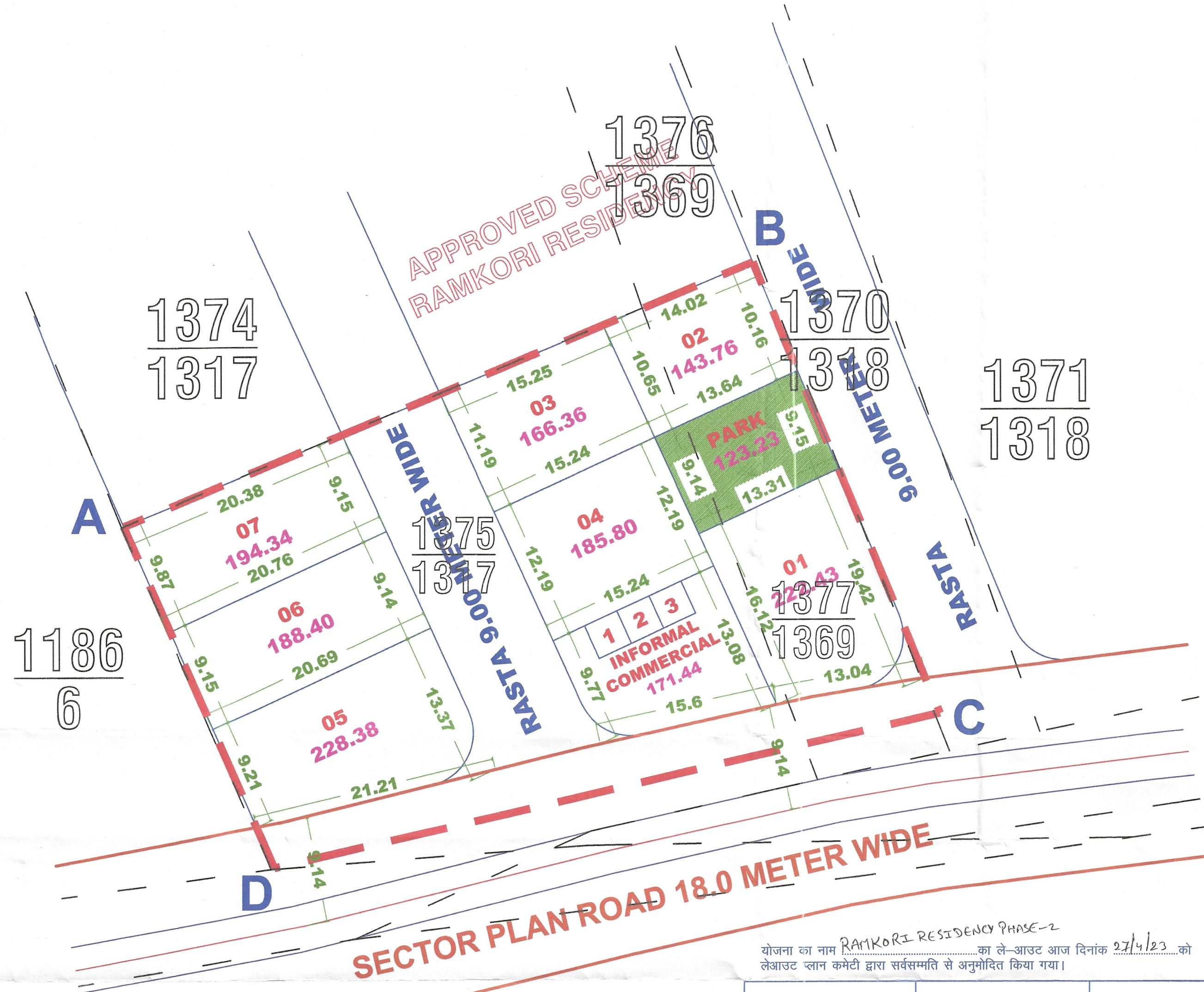
सचिव,

नगर विकास न्यास, सीकर

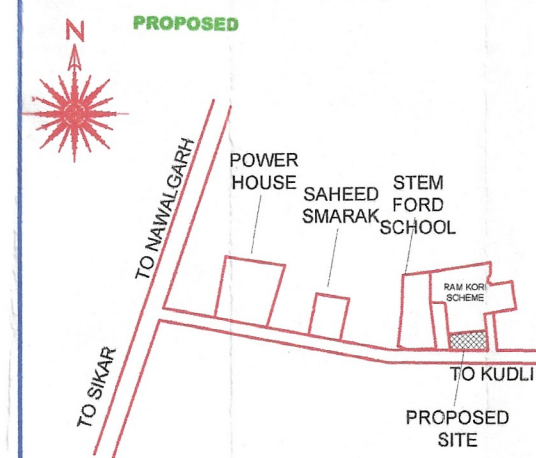


"RAMKORI RESIDENCY PHASE-2" RESIDENTIAL SCHEME

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 1375 1377
1317 1369,
REVENUE VILL. -KUDLI, DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90-A AND RESIDENTIAL SCHEME CONVERSION
APPLICANT:- PRAMOD KUMAR S/O NATHA RAM (NATHU RAM)



URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR



KEY-PLAN Not To Scale

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	1329.51	61.41%
2.	INFORMAL COMMERCIAL	171.44	07.92%
3.	PARK	123.23	05.69 %
4.	ROAD	0540.82	24.98 %
	TOTAL	2165.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PARTICULARS	NO.
2.	RESIDENTIAL PLOTS	07
3.	INFORMAL COMMERCIAL	3
4.	PARK	1

---	SCHEME BOUNDARY
---	KHASRA LINE
---	PLOT BOUNDARY

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER
SCALE-1 C.M. =3 MTR

जो-अच्छे से हयसित क्षेत्र ABCDA का रोडमार्ग
जो-अच्छे से मिलान किया गया जो लगभग अनुक्रम है

DR UIT

योजना का नाम RAMKORI RESIDENCY PHASE-2
का ले-आउट आज दिनांक 27/4/23 को
लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

27/04/23
(महामुद्र अजहर जादू)
रा नगर निगम

27/4/23
बी.एल. शर्मा
निगामी अभियन्ता

27/4/2023
राजपाल यादव (RAS)
सचिव
नगर निगम, सिकर

TOTAL AREA IN KH. NO.1375/1377=1793.00 SQ. MTR
TOTAL AREA IN KH. NO.1377/1369=372.00 SQ. MTR
AREA AVAILABLE AT SITE=2165.00 SQ. MTR